रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2046] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938
No. 2046] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

का. आ. 2725(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा के 10 के खण्ड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक निकाय को उक्त बोर्ड को प्राप्त होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिए एतदद्वारा, अधिसूचित करती है, अर्थात्

(क) सहमति शुल्क ;

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क;

(ग) अजैविक कूड़ा शुल्क;

(घ) हानिकारक शुल्क;

(ङ) ढेरी या ढेर / विश्लेषण शुल्क;

(च) बैंक गारंटी जब्त ;

(छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क;

(ज) राष्ट्रीय वायु अनुवीक्षण कार्यक्रमों के लिए किए गए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति;

(झ) सावधि जमाओं व बचत खातों से प्राप्त ब्याज;

(ञ) जन श्रवण /सुनवाई शुल्क;

(ट) कर्मचारियों को दिए गए गृह कर्ज से प्राप्त ब्याज;

(ठ) करार शुल्क व कबाड़ की बिक्री से प्राप्त आय ।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी कि उत्तराखंड पर्यायावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :-

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) पूरे वित्तीय वर्षों में क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर किया करेगा।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध वित्तीय वर्ष 2014-2015 में लागू हुई मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2015-2016, 2016-17, 2017-2018 और 2018- 2019 के मामले में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 73 /2016, फा .सं.196/18/2016-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक